राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
71वीं बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2019
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 71वीं बैंठक दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को श्री उत्पल कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्री अमित नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, श्री सुनील चावला, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री विजय रंजन, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री बरकत अली, महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक एंव शासकीय विभागों के उच्च अधिकारी, समस्त बैंकों के नियंत्रक उपस्थित थे।

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा एंव महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तत चर्चा की गयी :

प्राकृतिक आपदा – राहत उपाय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र) :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 2/6/2011–एफ.आई.(सी.–47940) दिनांक 14 अगस्त, 2019 जो गुजरात एवं उत्तराखंड राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय करने से संबंधित है, के संदर्भ में आपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के संबन्ध में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रेषित पत्र के अनुक्रम में जिलाधिकारियों के स्तर से किसी वि"ोष बडो हानि की सूचना नही दी गयी है। यद्यपि इस विषयक एक पत्र पुनः जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुक्रम में यदि कोई क्षेत्र वि"ोष के बारे में सूचना उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को सूचित कर दिया जायेगा।

अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसल ऋण (Short and Long Term Crops) :

कृषि निदे"ाालय, उत्तराखंड द्वारा प्रेषित अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसल की समय सारणी (Croping Season), जो कि सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, को सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसकी सूचना सभी बैंकों को प्रेषित की जा रही है। अतः सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या DBR.No.BC.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुरुप कृषि फसलों से सम्बन्धित ऋणों में गैर–निष्पादित आस्तियों (NPA) का निर्धारण अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसलों के आधार पर करें।

Constitution of a Sub-Committee on Deepening of Digital Transaction :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि है कि इस विषयक नयी कमेठी के गठन हेतु शासनादे"ा प्रक्रियाधीन है।

Digital District Programme – 100% Digitization :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि है कि इस विषयक विस्तत विवरण एंव कार्ययोजना के लिये भारतीय रिजर्व बैंक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्दे"ात किया गया है, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि स्कूल, कालेज, मण्डी समिति तथा राज्य में स्थित सरकारी विभागों द्वारा डिजीटल लेनदेन हेतु पी.ओ.एस. म"ीन, रुपये डेबिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि का उपयोग किए जाने हेतु कार्ययोजना बनायी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक राज्य स्तरीय समीक्षा कमेटी मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो अभी प्रक्रियाधीन है।

Online Portal – Government Sponsored Schemes :

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल में दिनांक 05 नवम्बर, 2019 के बाद के डाटा प्रदर्शित हो रहे हैं। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा संबधित विभाग को निर्देशित किया गया विभाग एन.आर.एल.एम. पोर्टल संचालन हेतु आई.डी. एवं पासवर्ड सभी बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबन्धकों एंव राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र उपलब्ध करायें। विभाग द्वारा पोर्टल के परिचालन / हैण्डहोल्डिंग हेतु प्रशिक्षण सभी बैंकों को दिया गया है। इसी अनुक्रम में दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया था कि वे एक बार पुनः बैंकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड एवं बैंक नियत्रकों को योजनांतर्गत प्रगति की निगरानी / अनुश्रवण हेतु आई.डी. तथा पासवर्ड उपलब्ध कराएं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग का पोर्टल तैयार हो गया है जिसका यू.आर.एल. www.nulm.gov.in है, जिसमें उत्तराखण्ड में स्थित बैंकों के डाटा प्रदर्शित हो रहे हैं तथा पोर्टल में कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त पोर्टल में आई.डी. एवं पासवर्ड की आवश्यकता नही है तथा पोर्टल में सूचना के अतिरिक्त Input के right बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान – पोर्टल बनाये जाने के संबन्ध में विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 तक पोर्टल तैयार कर लेंगे। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा संबधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि विभाग शीघ्र पोर्टल बनायें तथा पोर्टल संचालन हेतु आई.डी. एवं पासवर्ड सभी बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबन्धकों एंव राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को शीघ्र उपलब्ध करायें।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एंव दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के पोर्टल पर कार्य प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही पोर्टल तैयार करने का आश्वासन दिया गया है।

Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its management :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा इस विषय में सदन को पूर्ण जानकारी देते हुये अवगत कराया गया है कि इस विषयक चार बैठक आयोजित की जा चुकी है तथा सम्बन्धित विषय के लिए 15 बैंकों को सम्मिलित करते हुए क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है, जो इस सम्बन्ध में अपने सुझाव विस्तृत रुप से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही इस विषय में एक आंतरिक समिति भी गठित की गयी है, जो इस कार्य में पहले से कार्यरत वैन्डर द्वारा पूर्व में दी जा रही सेवाओं/लागत के अन्तर को आंकलन करते हुये अपनी संस्तुती नये साप्टवेयर एंव वैन्डर को hire करने हेतु देगी, जिसके आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा इस विषय पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

इस विषयक एक बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को आहूत की गयी थी, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी (M/s Softrack InfoSolutions Pvt. Ltd.) को सॉफ्टवेयर परिचालन / हैण्डहोल्डिंग पर प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधियों, भारतीय रिजर्व बैंक, अग्रणी जिला प्रबन्धकों एंव आंतरिक कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।

वित्तीय समावेशन – बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता :

Villages inadequately covered or uncovered by Financial Infrastructure on Jan Dhan Darshak GIS App/ Business Correspondent :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा निर्दे"ात किया गया है कि राज्य में बैंकिंग हेतु आधारभूत सुविधाओं से आनाच्छादित गांव, जिन्हे बैंकिंग आधारभूत सुविधाओं से बैंकों/बी.सी./इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंकों स आच्छादित किया गया है, का जमीनी स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए कि कोई गांव बैंकिंग सुविधाओं से वंचित न रह जाय और यदि वंचित रह जाता है तो वहां पर बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्दे"ात किया गया है कि सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक उनके जिले से संबन्धित सभी गांव का जन–धन द"ाक ऐप/भौतिक सत्यापन के माध्यम से किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित गांव के विषय में स्थानीय स्तर से जानकारी प्राप्त कर इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को 15 दिसम्बर, 2019 तक प्रेषित करें कि उनके जिले में स्थित सभो गांव **05** किलोमीटर की परिधि में पैदल अथवा सडक मार्ग से बैंकिंग की आधारभूत सुविधाओं से आच्छाादित है। भौतिक सत्यापन के तहत यदि कोई गांव बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाय तो उसे सम्बन्धित बैंक / इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आवंटित कर विषय को डो.एल.आर.सी. की बैठक में अनुमोदित कर सम्बन्धित बैंक नियंत्रक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी प्रेषित करें तथा सम्बन्धित बैंक शाखाओं/नियंत्रकों/इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक से इसका follow up करते हुये उपलब्ध कराना सुनि"चत करें।

कुट्टी गांव : मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा कुट्टी गाँव में बैंकिंग सुविधाए उपलब्ध होने के विषय में पूछे जाने पर अग्रणी जिला प्रबंधक, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि कुट्टी गाँव में बी.सी. नियुक्त है, लेकिन वहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधक, पिथौरागढ़ को निर्दे"ात किया गया कि वे इस कार्य हेतु प्राथमिकता के तौर पर विस्तृत रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं कि क्या संबंधित बी.सी. द्वारा किए गए लेन–देन निरंक हैं अथवा वहाँ पर किस प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तथा गाँव की आबादी कितनी है।

वी.सैट की स्थापना

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संबंधित बैंकों को निर्दे"ात किया गया कि जहाँ वी.–सैट स्थापित किए जा चुके हैं अथवा शाखाएं वी.–सैट पर हैं, ऐसे स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी को भी चेक कराएं, जिससे कि तदानुसार वैकल्पिक कनेक्टिविटी मोड में ि"ाफ्ट करते हुए बैंकिंग सेवाओं में सुधार किया जा सके।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाइल वैन, पी.ओ.एस. म"ाीन, वी.–सैट, बी.सी. सर्किफिके"ान कोर्स आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है। अतः इस विषय में नाबार्ड के स्तर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इसी विषय में दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावे"ान हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संबंधित बैंक को निर्दे"ात किया गया कि उन्हें आबंटित गाँव में स्थापित वी.–सैट की कनेक्टिविटी एवं बाधित कनेक्टिविटी की रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करेंगे।

Business Correspondent Certification – Graded Certification Process :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को विस्तार से अवगत कराया गया कि सभी बैंक उनके द्वारा नियुक्त किए गए पुराने बी.सी. को अधिकतम मार्च, 2022 तक तथा नए बी.सी. को 09 माह के अंदर बी.सी. सर्टिफिके"ान कोर्स अव"य कराया जाना है तथा कोर्स में होने वाल व्यय की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा किए जाने का प्रावधान है।

वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के विषय में सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीय त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **40** प्रति”ात के सापेक्ष **47** प्रति”ात की प्रगति दर्ज की गयी है, जा कि गत वर्ष सितम्बर, 2018 के सापेक्ष 7 प्रति”ात अधिक है। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा फसली ऋण में और अधिक प्रगति दर्ज किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड द्वारा एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य ₹ 8031 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3547 करोड़ की प्रगति, जो कि लक्ष्य का 44 प्रति”ात है, पर संतोष व्यक्त किया गया है।

निदे”ाक, उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 को उद्योग संवर्धन हेतु सिडबी द्वारा अपरान्ह 03:00 बजे से 06:00 बजे तक स्टेट आउटरीच प्रोग्राम (ज्ञान प्रसार और अपेक्षा को सूचीबद्ध करने हेतु) आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियो, एम.एस.एम.ई.–डी.आई., जिला उद्योग केंद्र, अग्रणी जिला प्रबंधक, उद्योग संघों एवं एम.एस.एम.ई. आदि विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि सिडबी द्वारा आयोजित स्टेट आउटरीच प्रोग्राम में उनके बक के प्रतिनिधि द्वारा ई.–मुद्रा लोन से संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उद्योग विभाग से आग्रह किया गया कि वे राज्य में नए अनुमोदित बड़े उद्योगों की सूची उपलब्ध कराएं, जिस पर निदे”ाक, उद्योग द्वारा बताया गया कि ऐसे उद्यमियों की सूची ”उद्योग मित्र पोर्टल“ पर उपलब्ध है, परंतु पोर्टल पर संबंधित उद्यमियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है। सभी बैंक संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करते हुए नए ऋण प्रस्ताव हेतु एप्रोच कर सकते हैं।

उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उद्योग विभाग से नए विकसित किए जाने वाले एम.एस.एम.ई. क्लस्टर की सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, जिस पर निदे”ाक, उद्योग द्वारा बताया गया कि अभी इस विषय पर वांछित निर्णय प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष, उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिए”ान द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तर पर एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को राहत देने हेतु लिए गए दो निर्णय के बारे में सदन को अवगत कराया गया। इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिए”ान से कहा गया कि वे संबंधित विषयक में लिए गए निर्णय का पूर्ण विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं, जिससे कि सभी बैंकों को तदानुसार सूचित किया जा सके।

किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्त (KCC saturation) अभियान :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्दे”ाानुसार के.सी.सी. से अलाभान्वित कृ‘ाकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए एक अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 45 दिन के लिए राज्य के समस्त जिला में चलाया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्दे”ान में अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी रेखीय विभागों (कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं प”ाुपालन विभाग) के सहयोग से बैंकों द्वारा **11,908** किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा कहा गया कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ता हेतु इस प्रकार के राज्य अन्य जिलों में भी चलाए जाने की आव”यकता है।

मुख्य महाप्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्दे”ात किया गया कि सभी बैंक अग्रणी जिला प्रबंधकों के नेतृत्व में शेष सक्रिय किसानों को के.सी.सी. का लाभ पहुँचाने हेतु कैम्प लगाकर उन्हें कवर करें। इस विषय पर

सहायक निदे”ाक, कृषि निदे”ाालय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में **8.81** लाख सक्रिय किसान हैं, जिसमें से वर्तमान में लगभग **6 लाख** किसानों को के.सी.सी. जारी कर लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष **2.81 लाख** सक्रिय किसानों को के.सी.सी. जारी किए जाने की संभावाना हैं। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा कृषि विभाग से सदन के माध्यम से अपेक्षा की गयी वे राज्य में कार्यरत सक्रिय किसानों की गाँव–वार एवं जिलेवार सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उपलब्ध डाटा के आधार पर बैंक राज्य में ऋणी एवं गैर–ऋणी किसानों को के.सी.सी. वितरित कर सकें। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि विभाग को निर्दे”ात किया गया कि वे गाँव–वार, जिले–वार सक्रिय किसानों की सूची सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं तथा जिले के मुख्य कृषि अधिकारी को निर्दे”ात करें कि वे बैंकों द्वारा के.सी.सी. जारी करने हेतु वि”ोष अभियान में अपने विभाग का शत प्रति”ात योगदान दें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इं”योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019 के अंतर्गत संसूचित फसल गेंहू एवं मसूर के लिए बीमा प्रीमियम 15 दिसम्बर, 2019 तक संबंधित ऋण खाते से नामे करें तथा संबंधित डाटा पोर्टल पर 31 दिसम्बर, 2019 तक अनिवार्य रुप से अपलोड करना सुनि”िचत करें। मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2019–20 के अंतर्गत संसूचित फसल सेब, आडू, माल्टा, संतरा, मौसमी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर के लिए बीमा प्रीमियम 31 दिसम्बर, 2019 तक संबंधित ऋण खाते से नामे करें तथा संबंधित डाटा पोर्टल पर 15 जनवरी, 2020 तक अनिवार्य रुप से अपलोड करना सुनि”िचत करें।

ऋण–जमा अनुपात :

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्दे”ात किया गया कि वे उनकी बैंक शाखाओं में विभिन्न योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण में तीव्रता लाएं, जिससे कि बैंकों के ऋण–जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज हो सके।

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनांतर्गत गैर–निष्पादित आस्तियाँ :

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनांतर्गत बढ़े हुए एन.पी.ए. प्रति”ात के विषय में सचिव (वित्त), उत्तराखंड द्वारा VCSGSY, SJSRY, SGSY & DEDS के विषय में अपेक्षा की गयी है कि इन योजनाओं में बढ़ते एन.पी.ए. के कारणों को जानना आव”यक है, जिससे कि एन.पी.ए. को कम करने हेतु उचित उपाय किए जा सकें। साथ ही योजना में किसी कमी के कारण या लाभार्थी चयन में त्रुटि के कारण एन.पी.ए. बढ़ रहे हैं, तो उसका निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा DEDS के बारे में सदन को अवगत कराया गया कि उक्त योजना में अनुदान रा”ा उपलब्ध है। अतः इस योजनांतर्गत एन.पी.ए. का प्रति”ात अधिक नहीं होना चाहिए, जिस पर बैंकों द्वारा कहा गया कि पोर्टल से अनुदान रा”ा अवमुक्त न होने के कारण एवं पोर्टल की गति धीमी होने के कारण अनुदान रा”ा अवमुक्त नहीं हो पाती है, जिससे खाते एन.पी.ए. श्रेणी में आ जाते हैं। इस पर नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक DEDS योजना के अंतर्गत ऋण रा”ा स्वीकृत करने के बाद ऋण वितरण के पूर्व सब्सिडी को पोर्टल पर ब्लॉक करने की कार्यवाही करें, जिससे कि ऋण वितरण के बाद अनुदान रा”ा समाप्त होने की समस्या न आए। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्दे”ात किया गया कि सभी बैंक योजनांतर्गत, जहाँ एन.पी.ए. का प्रति”ात अधिक है की सूची विस्तृत विवरण के साथ संबंधित विभाग के साथ साझा करें तथा उसकी एक सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध कराएं।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सुझाव दिया गया कि वीर चंद्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत निर्मित होटल, मोटल को OYO के साथ

Tie-Up करने की कार्यवाही विभाग स्तर से की जाए, जिससे Occupancy की उपलब्धता बढगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्दे”ात किया गया कि सभी बैंक एन.पी.ए. धनरा”ा की सूचना देते समय write off किए गए एन.पी.ए. खातों का विवरण भी योजनांतर्गत एन.पी.ए. में शामिल करें। साथ ही Special mentioned Accounts / Stressed Accounts (SMA – 0 to SMA – 2) की सूचना एन.पी.ए. खातों के संबंध में पृथक रुप से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि बैंकों द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष वसूली में संबंधित विभागों का सहयोग अपेक्षित है।

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की गतिविधियों की समीक्षा</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा आरसेटी संस्थानों से प्र”ाक्षित अभ्यर्थियों को प्राप्त रोजगार का प्रति”ात जो कि 60 प्रति”ात से कम (56 प्रति”ात) है, का कारण जानना चाहा, जिस पर राज्य निदे”ाक, आरसेटी संस्थान उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि आरसेटी संस्थान स प्राप्त प्र”ाक्षणार्थियों के ऋण आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा निरस्त अथवा प्र”ाक्षणार्थियों द्वारा ऋण हेतु आवेदन न किया जाना है। इसी अनुक्रम में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बताया गया कि बैंकों के Credit off take चूँकि कम चल रहा है, जिसको बढाने हेतु बैंक प्रयास”ील हैं। अतः ऐसे **10** ऋण प्रस्ताव जो गैर–तकनीकी एवं गलत कारणों से निरस्त / वापस किए गए हैं, का विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं।

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual)</u>

सचिव (वित्त), उत्तराखंड द्वारा योजनांतर्गत हुई कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा विभाग को निर्दे”ात किया गया कि वे लक्ष्य के सापेक्ष 50–60 प्रति”ात अधिक ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनि”िचत करें। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि एन.यू.एल.एम. पोर्टल में बैंकों को केवल View Right दिए गए हैं, अतः सभी बैंक उनके द्वारा निस्तारित किए गए ऋण आवेदन पत्रों का विवरण संबंधित विभाग को पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित करें।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक शाखाओं को विभाग से प्राप्त ऋण आवेदन पत्र **6899** के सापेक्ष **3591** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 07 अक्टूबर, 2019 तथा 14 नवम्बर, 2019 को शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों के संबंध में हूई बैठक में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा दिए गए निर्दे”ाों के फलस्वरुप बैंकों द्वारा अपेक्षित प्रगति दर्ज की गयी है। यह भी अवगत कराया गया कि सितम्बर, 2019 तक के ऋण आवेदन पत्रों का manually निस्तारण कर दिया जाए, अक्टूबर, 2019 से ऋण आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाएं तथा पोर्टल क्रियान्वित होने की तिथि 01 अक्टूबर, 2019 से प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का पूर्ण विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि प्रगति की मॉनिटरिंग कर संबंधित बैंकों से ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि आपकी अध्यक्षता में मासिक अंतराल पर आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्दे”ाों / सुझावों के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। इसी अनुक्रम में उन्होंने सभी बैंकों को निर्दे”ात किया कि वे मासिक अंतराल पर आहूत होने वाली आगामी बैठक से पूर्व योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निरस्तारण कर, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निदे”ाक, उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से आवेदित ऋण आवेदन पत्रों की जाँच का प्रावधान है, फिर भी अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र निरस्त हो रहे हैं, जिनके वास्तविक कारणों को जानना आव”यक है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्दे”ात किया गया कि वे उचित कारणों को अंकित करते हुए ऋण आवेदन पत्र विभाग को वापस करना सुनि”चत करें, ताकि भविष्य में विभाग ऋण आवेदन पत्रों का चयन करते समय उन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। साथ ही संबंधित आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के निरस्त होने के कारणों से अवगत कराएं तथा तदानुसार वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करवाकर, आवेदन पत्र पुनः बैंक शाखाओं को प्रेषित करवाना सुनि”चत करें। इसी अनुक्रम में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संबंधित विभाग को सुझाव दिया गया कि वे संबंधित ऋण आवेदनकर्ताओं का मार्गद”ान करें, जिससे कि ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण में कमी संभव हो सके।

<u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए विभाग से जानना चाहा कि किन–किन बैंकों में अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं। इस पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, यूनियन बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब ने”ानल बैंक की शाखाओं में ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं। इसी अनुक्रम सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को निर्दे”ात किया गया कि मासिक अंतराल पर आहूत होने वाली आगामी बैठक में लम्बित आवेदन पत्र के संबंध में समीक्षा की जाएगी।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्दे”ात किया गया कि वे लम्बित आवेदन पत्रों के कारणों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराएं।

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग को निर्दे”ात किया गया कि योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें। साथ ही लोकसंपर्क के माध्यम से नि”चत आय वाले वर्ग यथा आंगनवाडी कार्यकर्ता, पुलिस कर्मी, सैनिक कल्याण बोर्ड, सरकारी विभागों तथा अन्य उपक्रमों के कर्मचारियो को योजना के प्रति जागरुक करें, जिससे वे योजना से लाभान्वित हो सकें।

उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रुप से **391** व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

<u>पिरुल नीति</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को पिरुल नीति के संबंध उरेडा विभाग तथा बैंकों के साथ आयोजित बैठक में वित्तपोषण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु एक चैक लिस्ट तैयार की गयी है, जिसे सभी बैंकों को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

<u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा विभाग से आग्रह किया गया कि योजनांतर्गत बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का विवरण सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं, जिससे कि लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा सके।

<u>Advance against Warehouse Receipts</u> :

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु इकाई Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा योजना को किसानों की आय को बढ़ाने की दि”ाा में एक अच्छा प्रयास बताते हुए इस योजना हेतु शासन स्तर पर एक बैठक कर समुचित कार्ययोजना / रणनीति तैयार करने की अपेक्षा व्यक्त की गयो।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि संज्ञान में आया है कि शुगर मिलों द्वारा भुगतान सीधे बैंकों को किया जाता है, जब कि गन्ने का भुगतान क्रम”ाः किसानों, गन्ना सोसायटी एवं बैंकों को किया जाना चाहिए। इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सलाहकार, वित्त (बैंकिंग) को निर्दे”ात किया गया कि वे इस विषयक विस्तृत जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं, जिससे तदानुसार कार्यवाही की जा सके।

बैठक के अंत में मुख्य सचिव, उत्तराखंड द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत हुई प्रगति को संतोषजनक बताते हुए कहा कि पूर्व में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा त्रमासिक अंतराल पर की जाती रही है, लेकिन अब प्रभावी निगरानी हेतु मासिक अंतराल पर प्रगति की समीक्षा की जा रही है, जिसमें जिला स्तर पर वांछित प्रगति दर्ज करने हेतु वी.सी. के माध्यम से जिलाधिकारियों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्दे”ा निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में कतिपय बैंकों द्वारा प्रतिभाग न किए जाने को गम्भीरता से लेते हुए निर्दे”ात किया गया कि सभी संबंधित विभाग एवं बैंक आव”यक जानकारी / डाटा सहित आगामी बैठकों में अपनी प्रतिभागिता सुनि”चत करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा 100 प्रति”ात जिला डिजीटाइजे”ान के अंतर्गत जिला अल्मोड़ा के चयन की चर्चा करते हुए कहा कि यह राज्य का Role Model है, इसमें न केवल बैंकिंग लेन–देन का डिजीटाइजे”ान किया जाए बल्कि सरकारी लेन–देन का भी डिजीटाइजे”ान किया जाए, जिसके लिए उन्होंने जिला प्र”ाासन एवं विभागों को निर्दे”ात किया कि वे इस कार्य में बैंकों का सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना जो कि राज्य की महत्वकांक्षी योजना है, के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों हेतु सिंगल वींडो सिस्टम लागू किया जाए, जिसके प”चात जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के बाद स्वतः ही भू–उपयोग परिवर्तन माना जाएगा व संबंधित राजस्व विभाग में भू–उपयोग परिवर्तन नोट किया जाएगा। इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया कि मासिक अंतराल पर आयोजित गत समीक्षा बैठक में रेखीय विभागों को निर्दे”ात किया गया था कि वे बैंक शाखाओं में विभिन्न ऋण योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का संज्ञान लेते हुए उनका निस्तारण करवाने में बैंकों से संपर्क कर अनुवर्ती कार्यवाही करें, यदि ऋण आवेदन पत्रों में कोई विसंगति पायी जाती है, तो उसके निदान हेतु आवेदनकर्ता स संपर्क करें, जो ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने में सहायक होगा साथ ही जिले के ऋण–जमा अनुपात में वांछित प्रगति दर्ज परिलक्षित होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को नववर्ष 2020 की शुभकामनाएं देते हुए आ”ाा व्यक्त की गयी कि दिसम्बर, 2019 त्रैमास में सभी बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अच्छी प्रगति दर्ज की जाएगी।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मु‚श्त निपटान योजना (OTS) "ऋण समाधान 2019–20" ₹ 20.00 लाख तक के बकाया ऋणियों हेतु प्रारम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य कृषि, शिक्षा, लघु एवं मध्यम उद्यमों में गैर–निष्पादित आस्तियों के प्रतिशत को कम करना तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में वसूली को प्रोत्साहित करना है।

अंत में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को मार्गद"ीन करने हेतु तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं बैंकों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु तथा प्रिंट एव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बैठक की कार्यवाही कवर करने हेतु धन्यवाद दिया गया।

सहायक महाप्रबंधक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड)

****